

म.प्र. शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

-: आदेश :-

भोपाल, दिनांक 25.06.2021

क्रमांक/एफ-2-1-13/22/पं.-1/21 विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2-1/17/22/पंचा-1 दिनांक 14.08.2017 द्वारा वाहन किराया भुगतान संबंधी आदेश दिये गये थे। त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए गठित प्रशासकीय समितियों के प्रधान को निम्नांकित तालिका में अंकित अनुसार एक दिवस का वाहन किराया इस प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

क्रमांक	पदाधिकारी	पंचायत	एक दिवस का वाहन किराया भत्ता
1	2	3	4
1	प्रधान	प्रशासकीय समिति जिला पंचायत	1335/-
2	प्रधान	प्रशासकीय समिति जनपद पंचायत	1170/-

2. उपरोक्त किराया एक दिवस का निर्धारित किया गया है। अतः प्रधान प्रशासकीय समिति जिला/जनपद पंचायत को जब भी जिला/जनपद पंचायत द्वारा आयोजित बैठक में बुलाया जावे, उक्त दिवस का वाहन किराया (भत्ता) उक्त दर से भुगतान किया जावे।

Shr
25/6/2021

(शोभा निकुम)

अवर सचिव,

म0प्र0 शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 25.06.2021.

0पृक्रमांक/एफ-2-1-13/22/पं.-1


प्रतिलिपि -:

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी म0प्र0 शासन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मा0 मंत्री जी/राज्यमंत्री जी मशासन 0प्र0, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।

1. सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, पंचायत राज संचालनालय म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।

-2-

5. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. संभागीय आयुक्त समस्त संभाग म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
7. कलेक्टर जिला समस्त म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत समस्त म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अवर सचिव,

म0प्र0 शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग